

(2)

Len-21
16-9-21

140790

18 AUG 2021

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

12 अगस्त, 2021

संख्या: एस0जे0ई0-एफ--(5)-4/2006-1 दिनांक:

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना सं0जे0ई0-एफ--(5)-4/2006-1 दिनांक 19 मई, 2018 के क्रम को जारी रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में जन्मी दो बेटियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से "बेटी है अनमोल योजना" के अर्न्तगत परिशिष्ट 'क' की मद संख्या- 6(i) में संशोधन करते हुए, इस राशि को मु0 12,000/- (बारह हजार) से बढ़ाकर मु0 21,000/- (इक्कीस हजार) करने तथा 6(ii) को विलोपित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के अनौपचारिक पत्र सं0 फिन (सी0) बी0(15)-14/2021 दिनांक 17-05-2021 के अनुसरण में जारी की जाती है।

यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

आदेश द्वारा

संजय गुप्ता,

अति0मख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

23 SEP 2021

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त दिनांक: शिमला-02 (2 अगस्त, 2021)

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान निजी सचिव, मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश।
6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. उप सचिव, (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार उनके मद सं0 01 के सन्दर्भ में सूचनार्थ पृष्ठांकित है।
8. उप सचिव, (वित्त विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार
9. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हि0प्र0

(टी0आर0 परमार)

उप सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठा.सं. ई.डी.एन.-एच.ई.(21)बी.(15)15/2021-वी.-II दिनांक शिमला सितम्बर, 2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सचिव(शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय हि0प्र0 को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. उप-शिक्षा निदेशक समस्त जिला हि0प्र0 को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. तकनीकी अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, निदेशालय (उच्चतर शिक्षा) को विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
5. रक्षक नरित।

(निदेशक, उच्चतर शिक्षा)

निदेशक, (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1

16-9-21

1407910
1-8 AUG 2021
12 अगस्त, 2021

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्या: एस0जे0ई0-एफ-(5)-4/2006-1 दिनांक:

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना सं0जे0ई0-एफ-(5)-4/2006-1 दिनांक 19 मई, 2018 के काम को जारी रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में जन्मी दो बेटियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से "बेटी है अनमोल योजना" के अर्न्तगत परिशिष्ट 'क' की मद संख्या- 6(i) में संशोधन करते हुए, इस राशि को मु0 12,000/- (बारह हजार) से बढ़ाकर मु0 21,000/- (इक्कीस हजार) करने तथा 6(ii) को विलोपित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के अनौपचारिक पत्र सं0 फिन (सी0) बी0(15)-14/2021 दिनांक 17-05-2021 के अनुसरण में जारी की जाती है।

यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

आदेश द्वारा 23 SEP 2021

सजय गुप्ता,

अतिरिक्त सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: उपरोक्त दिनांक: शिमला-02 12 अगस्त, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
4. प्रधान निजी सचिव, मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, हिमाचल प्रदेश।
6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश की सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. उप सचिव, (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार उनके मद सं0 01 के सन्दर्भ में सूचनार्थ पृष्ठांकित है।
8. उप सचिव, (वित्त विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार
9. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, हि0प्र0

मदल
16/9/21

टी0आर0 परमार
उप सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार